2019 का विधेयक संख्यांक 3

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हन्ड्रेड एंड ट्वेन्टी-फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुच्छेद 15 का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात, राज्य को--

(क) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ; और

(ख) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा ।

स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग" वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ।'।

अनुच्छेद 16 का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''(6) इस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को खंड (4) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन, आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, ऐसे व्यक्तियों से, जो आर्थिक रूप से अधिक सुविधा प्राप्त हैं, प्रतिस्पर्धा करने में अपनी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने से अधिकांशत: वर्जित रहे हैं । अनुच्छेद 15 के खंड (4) और खंड (5) तथा अनुच्छेद 16 के खंड (4) के अधीन विद्यमान आरक्षण के फायदे उन्हें साधारणतया तब तक उपलब्ध नहीं होते हैं, जब तक कि वे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के विनिर्दिष्ट मानंदड को पूरा नहीं करते हैं ।

2. संविधान के अनुच्छेद 46 में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह आदेश है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।

3. संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (5) अंत:स्थापित किया गया था, जो राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े किन्हीं भी वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में उनके प्रवेश के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए समर्थ बनाता है । इसी प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 16 का खंड (4) राज्य को नागरिकों के किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने के लिए समर्थ बनाता है ।

4. तथापि, नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग आरक्षण का फायदा लेने के पात्र नहीं थे । अनुच्छेद 46 के निदेश को पूरा करने की दृष्टि से तथा सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और राज्य की सेवाओं में रोजगार में सहभागिता का उचित अवसर प्राप्त हो, भारत के संविधान का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ।

5. तदनुसार, संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019, उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में, जिसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने का और राज्य के अधीन सेवाओं में आरंभिक नियुक्ति के पदों पर उनके लिए आरक्षण का भी उपबंध करता है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
7 जनवरी, 2019

थावरचंद गहलोत

MGIPMRND—3143LS(CRC)—07-01-2019.